

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 844 / 2024 दिनांक : 01.03.2024

श्री अनवर अहमद चौहान (RJ00334), विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, पाली को दिनांक 29.01.2024 से 31.01.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, पाली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, पाली के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 01-03-2024

कमांक:—स्था.बी.2(4)/38/2000/1906

दिनांक 01.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, पाली को उनके पत्रांक 08 दिनांक 01.02.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनवर अहमद चौहान (RJ00334), विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, पाली।
4. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, पाली।


सहायक रजिस्ट्रार 01/3/2024